


12/09/22

गई। पत्रावली वारंते आदेश दिनांक
12/09/22 को पेश हो

12/9/22

अधिवक्तागण उपस्थित। विधि
अलग से लिखवाया जाकर सुनाया
गया। प्राचीनगण का प्राचीन पत्र भली-
भांति साबित होने पर स्वीकार किया
जाता है। आदेश इस आशय का
तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी
है। पत्रावली विधि लेकर नम्बर
से कम लेकर दाखिल वफतर् हो




उपखण्ड अधिकारी (राजम)
श्री करणपुर

